माननीय एन. सी. जैन और एस. एस. सुधलकुर के समक्ष

गुलाब सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

डिवीजनल कैनाल ऑफ़िसर और अन्य,-- *उत्तरदाता।*

1995 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6204

4अक्टूबर, 1995

हरियाणा नहर और जल निकासी अधिनियम, 1974-खंड 24-विघटित जल मार्ग की बहाली-खंड 24 के तहत शक्तियों का दायरा-क्या ताजे पानी के मार्ग का आदेश दिया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की खंड 24 के तहत आवेदन पर विचार करते समय, अधिनियम के तहत अधिकारी एक और जल मार्ग प्रदान नहीं कर सकते हैं। अधिनियम की खंड 24 का दायरा सीमित है।इस प्रावधान के तहत, अधिकारियों से यह निर्धारित करने के लिए कहा जाता है कि क्या जलमार्ग को ध्वस्त कर दिया गया था और क्या आवेदक जलमार्ग की बहाली का हकदार है। यदि अधिनियम की खंड 24 के तहत आवेदन पर विचार करने वाले अधिकारियों का विचार है कि किसी विशेष पक्ष द्वारा किसी भी जल मार्ग को नष्ट नहीं किया गया था और आवेदक अधिनियम की खंड 24 के तहत आवेदन दायर करके इसकी बहाली का हकदार नहीं था, तो आवेदन को निश्चित रूप से खारिज किया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, बेहतर सिंचाई के हित में एक और जल मार्ग प्रदान नहीं किया जा सकता है। यदि विशेष भूमि मालिकों की भूमि को किसी अन्य जलमार्ग से सिंचित किया जा सकता है, तो एक नई योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

(पैरा 5)

आर. एम. सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता *की ओर से।*

ए. एस. गुलिया, अधिवक्ता, जे. वी. यादव।अधिवक्ता प्रतिवादीओं के *लिए।*

जगदेव शर्मा, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा, एवं गुलाब सिंह, ए. एएजी, हरियाणा

आदेश

न्यायमूर्ति एन. सी. जैन,

1) यह रिट याचिका डिवीजनल कैनाल ऑफिसर, भिवानी (अनुलग्नक पी-2) के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें सब डिवीजनल कैनाल ऑफिसर, भिवानी के आदेश को पलट दिया गया है। इसमें शामिल प्रश्न छोटा होने के कारण, हमने प्रस्ताव सुनवाई के चरण में रिट याचिका का निपटारा करना उचित समझा है।

2) विवादित प्रश्न की सराहना करने के लिए मामले के तथ्यों पर नज़र डालना आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा नहर और ड्रेनेज अधिनियम, 1974 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया। याचिका जलमार्ग की पुनर्स्थापित करने के लिए दायर की गई है। याचिका इस आधार पर दायर कि है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने उसे ध्वस्त कर दिया है। आवेदन को उप-मंडल अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी।उपरोक्त आदेश का कार्यात्मक भाग निम्नानुसार हैः–

> "दोनों पक्षों को सुनने के बाद, स्थल निरीक्षण एवं सिंचाई अभिलेखों का अवलोकन ध्यान में रखते हुए यह पाया गया है कि श्री मेहर चंद सिंह के पुत्र श्री गुलाब सिंह

द्वारा मौजूदा जलमार्ग के माध्यम से 2 घंटे 20 मिनट में केवल 3 एकड़ की सिंचाई की गई है। जबकि श्री जुगला के पुत्र श्री सुखबीर सिंह द्वारा वर्ष 93-94 में रबी फसल के दौरान डब्लू/सी नं. ए-8 के माध्यम से प्वाइंट 212/23-24 पर वारी 1 घंटा 42 मिनट की अवधि में की 8 एकड़ की सिंचाई की गई है। यह ये दर्शाता है कि प्वाइंट 212/2-9-3-8 पर डब्ल्यू/सी के माध्यम से बेहतर सिंचाई की जा सकती है, जिसे गांव तिगराना के श्री गुगला सिंह के पुत्र श्री सुखबीर सिंह ने ध्वस्त कर दिया था। इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और बेहतर सिंचाई के हित में यह आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर विघटित जलधारा को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए। यदि गांव तिगराना के श्री गुगला सिंह के पुत्र श्री सुखबीर सिंह निर्दिष्ट अवधि के भीतर जल मार्ग को बहाल करने में विफल रहते हैं तो पुलिस की मदद से जल मार्ग को बहाल किया जाएगा और बहाली की लागत श्री गुगला सिंह से वसूली जाएगी।“

3) उपरोक्त आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी संख्या 3 ने संभागीय नहर अधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः–

“अदालत में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों को सुना गया और उनके दर्ज किए गए बयानों पर विचार किया गया। न्यायालय से परामर्श करने से पहले रिकॉर्ड बनाया गया ।स्थल का निरीक्षण भी किया गया।अभिलेख और स्थल निरीक्षण के अवलोकन से यह पता चला है कि पंक्तिबद्ध/असंरेखित जलमार्ग प्रतिवादी के धारण द्वारा से चलता है और इस तरह वह बिना किसी कठिनाई के इस बहते जलमार्ग से अपने क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है।इसके अलावा विवादित जलमार्ग के कारण अपीलकर्ता को दो भागों में विभाजित करके खेतों में बुवाई करना बहुत मुश्किल है।चूंकि जलमार्ग की वर्तमान प्रणाली द्वारा प्रतिवादी पर सिंचाई का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए विवादित

जलमार्ग को बहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील को स्वीकार कर लिया जाता है और उप-मंडल नहर अधिकारी, गुजरानी जल सेवा उप-मंडल भिवानी का निर्णय तय किया जाता है।"

4) याचिकाकर्ता वकील ने न्यायालय में यह तर्क दिया है कि उनका प्रभागीय अधिकारी इस सवाल का फैसला नहीं कर सकता था और न ही उसे करना चाहिए था कि क्या याचिकाकर्ता की भूमि को लाइन्ड वाटर कोर्स से सिंचित किया जा सकता है या नहीं। प्राधिकरण के सामने जो संक्षिप्त प्रश्न उठा वह यह था कि क्या प्रतिवादी संख्या 3' द्वारा जल मार्ग को नष्ट किया गया था या नहीं और क्या याचिकाकर्ता इसकी बहाली का हकदार था या नहीं। उन्होंने तर्क दिया है कि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट की धारा 24. 1974 ध्वस्त जलमार्ग की पुनर्स्थापना से संबंधित है और इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि सिंचाई के हित में एक और जलमार्ग उपलब्ध कराया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील के तर्क की सराहना करने के लिए अधिनियम की धारा 24 के दायरे को देखना आवश्यक है जो निम्नानुसार है: -

(1) ध्वस्त या परिवर्तित आदि का जीर्णोद्धार। जलमार्ग (1) यदि कोई व्यक्ति किसी जलमार्ग या अस्थायी जलमार्ग को ध्वस्त करता है, बदलता है, बढ़ाता है या बाधित करता है या उसे कोई नुकसान पहुंचाता है, तो इससे प्रभावित कोई भी व्यक्ति उप-मंडल नहर अधिकारी को इसकी मूल स्थिति में बहाली का निर्देश देने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर उप-मंडल नहर अधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, लिखित सूचना के माध्यम से उस व्यक्ति से मांग कर सकता है जो इस तरह के विध्वंस, परिवर्तन, विस्तार, बाधा या क्षति के

लिए जिम्मेदार पाया गया है, ताकि वह अपने खर्च पर जलमार्ग या अस्थायी जलमार्ग को 21 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर अपनी मूल स्थिति में बहाल कर सके, जैसा कि सूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता हैः

बशर्ते कि एक अस्थायी जलमार्ग के मामले में इसका पुनर्स्थापन एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति उप-मंडल नहर अधिकारी को संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो उप-धारा (2) के तहत उसे दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जलमार्ग या अस्थायी जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए उप-मंडल नहर अधिकारी जलमार्ग या अस्थायी जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सकता है और चूक करने वाले व्यक्ति से ऐसी बहाली के संबंध में हुई लागत की वसूली कर सकता है।उप-मंडल नहर अधिकारी रुपये से अधिक की राशि की वसूली का आदेश दे सकता है। चूक करने वाले व्यक्ति से जुर्माने के रूप में 500 रुपये।इस प्रकार बरामद की गई राशि में से उप-मंडल नहर अधिकारी पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।यदि दंड का भुगतान नहीं किया जाता है तो भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में उसी की वसूली की जाएगी।

(4) उप-मंडल नहर अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश के पारित होने के पंद्रह दिनों के भीतर मंडल नहर अधिकारी के पास अपील कर सकता है, जिसका इस तरह की अपील पर निर्णय अंतिम होगा।

(5) कोई भी राशि जो संभागीय नहर अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में वसूल की जा सकती है।"

5) जे. टी. ई. की सलाह सुनने के बादः पार्टियों का मानना है कि अधिनियम की खंड 24 के तहत आवेदन पर विचार करते समय, अधिनियम के तहत अधिकारी एक और जल मार्ग प्रदान नहीं कर सकते हैं।अधिनियम की खंड 24 का दायरा सीमित है।इस प्रावधान के तहत, अधिकारियों से यह निर्धारित करने के लिए कहा जाता है कि क्या जलमार्ग को ध्वस्त कर दिया गया था और क्या आवेदक जलमार्ग की बहाली का हकदार है।यदि अधिनियम की खंड 24 के तहत आवेदन पर विचार करने वाले अधिकारियों का विचार है कि किसी विशेष पक्ष द्वारा किसी भी जल मार्ग को नष्ट नहीं किया गया था और आवेदक अधिनियम की खंड 24 के तहत आवेदन दायर करके इसकी बहाली का हकदार नहीं था, तो आवेदन को निश्चित रूप से खारिज किया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, बेहतर सिंचाई के हित में किसी अन्य जल मार्ग का प्रावधान नहीं किया जा सकता है।यदि विशेष भूमि मालिकों की भूमि को किसी अन्य जलमार्ग से सिंचित किया जा सकता है, तो एक नई योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

6) चूंकि अपीलीय प्राधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जलमार्ग को समाप्त करने और जलमार्ग की बहाली के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार के बारे में निर्णय नहीं लिया है, इसलिए हमारे पास मामले को नए निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण को भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।

7) इसलिए रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, आदेश संलग्नक पी-2 को रद्द कर दिया जाता है।रिट याचिका की स्वीकृति के एक आवश्यक परिणाम के रूप में, मामले को एक नया निर्णय लेने और हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले में शामिल प्रश्न का निर्धारण करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को वापस भेजा जाना चाहिए।पक्षकारों को अपने वकील द्वारा से 16 अक्टूबर, 1995 को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित

होने का निर्देश दिया जाता है, जो इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर जल्द से जल्द आवश्यक आदेश पारित करेगा।कोई लागत नहीं।भुगतान पर आदेश की एक प्रति दसली दी *जाए।*

8) इस बीच, मौके पर यथास्थिति बनी रहेगी।

<u>अस्वीकरण :</u>

<u>स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा